राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM 02 Oct. to 02 Nov./16/ 21001-190 दिनांक :– 8/9/2016

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका
समस्त, राजस्थान।

विषयः– नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 02 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2016 की अवधि में ''विशेष स्वच्छ नगर अभियान'' चलाने के सम्बन्ध में।

स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) अन्तर्गत राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी साफ–सफाई व्यवस्था करने के लिये 02 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2016 की अवधि में ''विशेष स्वच्छ नगर अभियान'' प्रारम्भ कर राज्य को कूडा कचरा व पॉलीथीन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

इस ''विशेष स्वच्छ नगर अभियान'' के दौरान मुख्य रूप से निम्न कार्य करवाये जाने है :–

1. अभियान से पूर्व 15 सितम्बर, 2016 से आमजन में जनजागृति एवं प्रचार–प्रसार के लिये नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित (निदेशालय द्वारा निर्मित) होर्डिंग्स पर स्वच्छ भारत मिशन के फ्लैक्स (नगरीय निकाय स्तर पर) लगवाये जायें, जिनकी डिजाईन संलग्न कर भिजवाई जा रही है, अभियान के दौरान लगाये गये फ्लैक्स की फोटो निदेशालय को भिजवाई जावें।
2. एफ.एम. रेडियों आकाशवाणी के सभी केन्द्रों पर स्वच्छता सम्बन्धित जिंगल निदेशालय द्वारा प्रसारित करवाये जायेगे।
3. नुक्कड नाटकों का आयोजन क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में क्षेत्रीय भाषाओं में किया जावे।
4. स्वच्छ भारत मिशन सम्बन्धित गोष्ठियों का आयोजन स्थानीय विद्यालयों व चौपालो मे नगरीय निकाय प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में किया जावे, साथ ही क्षेत्रीय विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रभातः फेरीयों का आयोजन भी किया जावें तथा चित्रकला प्रतियोगिता के श्रेष्ठ चित्रकारों को पुरस्कृत किया जावे।
5. स्वच्छता के बारे में समस्त शिक्षण संस्थाओं (राजकीय विद्यालय / महाविद्यालय, निजी विद्यालय / महाविद्यालय), राजकीय कार्यालयों, सामाजिक / धार्मिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर जनजागरण कार्यक्रम आयोजित कर अधिकाधिक संख्या में आम जन की इस कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाई जावें।
6. ''विशेष स्वच्छ नगर अभियान'' की अवधि के दौरान की गई कार्यवाही का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जावे एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों की फोटो कवरेज, प्रेस कवरेज आदि को भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल व राज्य सरकार के Swachh Rajasthan Mission (Urban), Facebook एवं Whatsapp पर अपलोड करना भी सुनिश्चित किया जावे।
7. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्मार्ट राज कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है, जिसका Toll Free Number 18001806127 है। आमजन नगरीय निकायो से सम्बन्धित शिकायते टोल फ्री नम्बर पर दर्ज करा सकते है। टोल फ्री नम्बर का प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करवावे जिससे जनसमुदाय की शिकायतो का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
8. शहर के Entry Points व मुख्य बाजारों में पड़े हुये कचरे–मलबे के ढेरों को हटाया जावें तथा नगर निकाय क्षेत्रों में पडे हुये पुराने कचरे व मलबे को चिन्हित करते हुये उसको साफ करवाया जावें।
9. अभियान अवधि में समस्त सरकारी कार्यालयों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलो, बस स्टेण्डो, स्कूलों, कॉलेजो, अस्पताल इत्यादि के परिसरों में सफाई किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
10. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं प्लास्टिक कैरी बैग्स की रोकथाम / जब्त करने की कार्यवाही की जावें।

11. प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्रों में सम्पति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही कराते हुये बिना स्वीकृति के लगे हुये होर्डिंग्स/विज्ञापन हटाये जावें तथा दीवारो पर लिखे हुये विज्ञापन इत्यादि की सफाई करावाया जाना सुनिश्चित करवावें।
12. आवारा पशुओं को पकडने का कार्य नगर निकायों के स्तर पर अथवा आउटसोर्स करते हुये करवाया जावे।
13. सब्जीमण्डी, अनाज भण्डारण केन्द्रों तथा फलमण्डी क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर साफ–सफाई रखी जावें।
14. नगर सुधार न्यास, शहरी विकास प्राधिकरण व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में पड़े मलवे को हटाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जावें।

इस अभियान के दौरान की गई कार्यवाही का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जावे एवं महत्वपूर्ण गतिविधियॉ, कार्यक्रम व सूचना स्वायत्त शासन विभाग की ई–मेलः dlbrajasthan@gmail.com & pmusbmraj@gmail.com पर नियमित रूप से भिजवाना भी सुनिश्चित किया जावें।

संलग्न :– 1. विस्तृत योजना।
2. प्रपत्र।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM 02 Oct. to 02 Nov./16/21191-21453 दिनांक :– 8/9/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. जिला कलक्टरर्स समस्त राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
13. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
14. CMAR निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(के.के.शर्मा)
मुख्य अभियंता

स्वच्छ भारत मिशन

(स्वच्छ नगर अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत योजना)

16 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2016 तक

<u>15 सितम्बर (गुरूवार)</u> विभिन्न राजकीय विभागों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ नगर अभियान की सफल क्रियान्विती के लिए कार्यशाला का आयोजन	<u>22 सितम्बर (गुरूवार)</u> खुले में शौच (OD) विषय पर चुने हुये जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उन्हें चिन्हित स्थानों की सूची उपलब्ध करवाना एवं उक्त स्थलों पर खुले में शौच को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही हेतु आमुखीकरण करना
<u>16 सितम्बर (शुक्रवार)</u> स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से समन्वय कर बैठक का आयोजन जिसमें महिला आरोग्य समिति को स्वच्छ नगर अभियान में शामिल करना	<u>23 सितम्बर (शुक्रवार)</u> वार्डो में पदस्थापित सफाई से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्वच्छ नगर अभियान के तहत दिये गये निर्देशों की पालना के लिए आवश्यक जानकारी देना
<u>17 सितम्बर (शनिवार)</u>	<u>24 सितम्बर (शनिवार)</u>
<u>18 सितम्बर (रविवार)</u>	<u>25 सितम्बर (शनिवार)</u>
<u>19 सितम्बर (सोमवार)</u> शिक्षा विभाग से समन्वय कर बैठक का आयोजन जिसमें स्वच्छ नगर अभियान को क्रियान्वित हेतु आवश्यक निर्देश	<u>26 सितम्बर (सोमवार)</u> स्वच्छ नगर अभियान के तहत आमजन को जानकारी के लिए नुक्कड़ नाटक, कठपुतली कार्यक्रम आदि की रूपरेखा तैयार करना
<u>20 सिम्बर (मंगलवार)</u> गैर सरकार संगठनों एवं मौहल्ला विकास समितियों के साथ बैठक आयोजित कर जिसमें स्वच्छ नगर अभियान को क्रियान्वित हेतु आवश्यक निर्देश	<u>27, 28, 29, 30 सितम्बर एवं 01 अक्टूबर</u> सफाई से जुड़े साधनों एवं वाहनों का प्रबंधन
<u>21 सितम्बर (बुधवार)</u> शहर के विभिन्न वार्डो में खुले में शौच क्षेत्र चिन्हित करना	<u>02 अक्टूबर (रविवार)</u> स्वच्छ नगर अभियान का शुभारंभ

नोटः– उपरोक्त सभी कार्यो की क्रियान्विति कर दैनिक जानकारी निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवायी जाये

स्वच्छ नगर अभियान – 2016

नगरीय निकाय का नाम :

दिनांक	योजना	क्रियान्वयन	फोटो	प्रतिभागियों की संख्या	निकाय द्वारा जारी आदेश